न्यायालय न्यायनिर्यण्न अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर : 01/2023

महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।
बनाम
श्रीपाल सैनी पुत्र श्री गणपतराम सैनी, मै0 शिव बाबा रेस्टोरेन्ट, बड़ा शिव मन्दिर के पास, नवलगढ, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय– **दिनांक : 31.01.2023**

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी बड़ा शिव मन्दिर के पास, नवलगढ झुन्झुनू में मै0 शिव बाबा रेस्टोरेन्ट के नाम दुकान है। जहां वह रेस्टोरेन्ट चलाता है। उसकी दुकान से खाद्य प्रदार्थ मावा का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टैण्डर्ड पाया गया है। अनावेदक ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि वह भविष्य में शुद्ध मावा का प्रयोग करेगा। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3383/एक्ट/2022/33429 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 मंयक एन्टरप्राईजेज में स्वयं मावा तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मावा सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्रीपाल सैनी पुत्र गणपतराम सैनी, मै0 शिव बाबा रेस्टोरेन्ट, बड़ा शिव मन्दिर के पास, नवलगढ, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रक[illegible] 15,000/– पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित [illegible] द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये [illegible] की एक[illegible]इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:24 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित [illegible] अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम [illegible] की धारा 26 की [illegible] (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।